



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233442
CG-DL-E-15022022-233442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 638]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 657(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4320(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में NH16 के कि.मी. 0.000 (डिजाइन चाइनेज) से कि.मी. 1.848 (डिजाइन चाइनेज) (स्थित कि.मी. 1081.140 से कि.मी. 1083.000) के परियोजना "एनएच-16 के विजयवाड़ा-गुंडुगोलानु खंड पर गन्धर्वम के पास विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर कि.मी. 1081.900 पर फ्लाई ओवर का निर्माण", तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/छह-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22 अक्तूबर, 2021" को "प्रजा शक्ति" और "दि हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में NH16 के कि.मी. 0.000 (डिजाइन चाइनेज) से कि.मी.1.848 तक (डिजाइन चाइनेज) (स्थित कि.मी.1081.140 से कि.मी.1083.000 तक) के परियोजना "एनएच-16 के विजयवाड़ा-गुंडुगोलानु खंड पर गन्नवरम के पास विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर किमी.1081.900 पर फ्लाई ओवर का निर्माण" के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: कृष्णा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गन्नवरम				
	गांव का नाम: केसरपल्लि				
1	43/6A2A	निजी	ड्राई	0.0162	सी.बी. अग्रोस & ज्वैलर्स (43/6ए2ए2)
2	43/7A1	निजी	ड्राई	0.0051	देवभक्तुनि बाल राजू ()
3	43/7A1	निजी	ड्राई	0.002	मुव्वा दया शंकर बाबू (43/7ए1बी2)
4	43/7A1	निजी	ड्राई	0.002	राजुलपाटी सोमय्या (43/7ए1सी2)
5	43/8A1	निजी	ड्राई	0.001	शेक आजामिन्नीसा (43/8ए1बी)
6	43/9A1	निजी	ड्राई	0.003	चेरुकुरी शीला (43/9ए1बी)
			कुल	0.0293	

[फा. सं. NHAI/Tech/AP/NH-16/V-G/Vij Airport/2020/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 657(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.4320(E), dated 18th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.16 in the stretch of land from Km.0.000 (Design Chainage) to Km.1.848 (Design Chainage) (Existing Km. 1081.140 to Km. 1083.000) of the Project "Construction of Flyover at Km. 1081.900 at Vijayawada Airport near Gannavaram on Vijayawada - Gundugolanu Section of NH-16" in the District of Krishna in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Prajasakthi" and "The Hindu" both dated 22.10.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.000 (Design chainage) to Km. 1.848 (Design chainage) (existing Km. 1081.140 to Km. 1083.000) of the Project "Construction of flyover at Km. 1081/900 at Vijayawada Airport near Gannavaram on Vijayawada - Gundugolanu Section of NH-16" in the District of Krishna in the State of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH			District: KRISHNA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Gannavaram				
	Village: Kesarapalli				
1	43/6A2A	Private	Dry	0.0162	C.B. Agros & Jewellers 43/6A2A2
2	43/7A1	Private	Dry	0.0051	Devabhakthuni Bala Raju 43/7A1A2
3	43/7A1	Private	Dry	0.002	Muvva Daya Sankara Babu 43/7A1B2
4	43/7A1	Private	Dry	0.002	Rajulapati Somaiah 43/7A1C2

5	43/8A1	Private	Dry	0.001	Shaik Aajaminnisa 43/8A1B
6	43/9A1	Private	Dry	0.003	Cherukuri Sheela 43/9A1B
			TOTAL	0.0293	

[F. No. NHAI/Tech/AP/NH-16/V-G/Vij Airport/2020/3D]

RAJESH GUPTA, Director